न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 58/15 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. जसवन्त सिंह पुत्र बलवान सिंह

2. सुमन पुत्री बलवान सिंह नाबालिग जरिये सरपरस्त माता उर्मिला देवी

3. उर्मिला देवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट निवासी सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांटस

बनाम

1 दयाचन्द
2 धनीराम
3 स्तवीर पुत्रान भगवानसिंह जाति जाटान निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
4 नित्यानन्द
5 सुरेन्द्र पुत्रान बच्चूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
6 विजयसिंह पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर
7 अतरसिंह पुत्र मुरली जाति जाट निवासी ग्राम रूंध तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा
8 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर

:------- रेस्पो0

16/12/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर
दिनांक 7.9.2015

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री परमानन्द मेहरा

2. वकील रेस्पो0 :- श्री संतोष बंसल

निर्णय दिनांक 16.12.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2009 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.9.2015 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 378 रकबा 1.56 हेक्टेयर वाके ग्राम सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर पैत्रिक सम्पत्ति है । यह आराजी वादीगण के पूर्वज रामकरण की थी, जिसमें उनका 1/4 हिस्सा निहित था । उनके देहान्त के बाद यह आराजी हिस्सा 1/4 वादीगण के पिता व पति बलवानसिंह के नाम दर्ज हुई । चूंकि यह आराजी पैत्रिक है, जिसमें वादीगण का भी हिस्सा निहित है, परन्तु वादीगण के पिता व पति बलवानसिंह ने उक्त सालिम आराजी 1/4 का बेचान गलत तौर पर प्रतिवादीगण को कर दिया । बलवानसिंह को मात्र अपना हिस्सा 1/16 ही बेचान करने का अधिकार था । शेष 1/16, 1/16 हिस्सा वादीगण का है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद खारिज किया है, जिसकी वादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील वादीगण अपीलांटस ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित आराजी दादालाई की आराजी है,जिसमें वादीगण अपीलांटस का हिस्सा निहित है । दादा की सम्पत्ति में पौतों का जन्म से ही अधिकार होता है । परन्तु हमारे पिता पति ने सम्पूर्ण हिस्सा बेच दिया । जबकि ज्यादा से ज्यादा वह अपना ही हिस्सा बेच सकता था । हमने अपने

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, मुण्डावर

वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया था, परन्तु फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । दावा हमारा था, लेकिन रिलीफ प्रतिवादी को इस प्रकार दे दी कि उनके तथाकथित बयनामे की अनुपालना में इंतकाल भी दर्ज होना चाहिये था और जो विरासत का इंतकाल नम्बर 482 वादीगण के नाम चढा था, उसे भी बातिल व बेअसर करार दिया है, जबकि यह इंतकाल निरस्त करने का अधिकार तहत अदालत को नहीं था । रेस्पो0 द्वारा उक्त इंतकाल की अपील भी प्रस्तुत नहीं की थी । तहत अदालत ने यह माना है कि बयनामा को चुनौती सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती है, राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बयनामा को बातिल व बेअसर करार देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । नाबालिग की पुश्तैनी भूमि का यदि कोई बयनामा करता है तो उसके लिये जिला कलेक्टर से स्वीकृति लेनी होती है । परन्तु तहत अदालत ने उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया और कानूनी बिन्दुओं की अनदेखी करते हुये विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि मैंने एक रिकार्डेड खातेदार से खरीदी है और प्रतिफल अदा करके कब्जा प्राप्त किया है । वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । विवादित भूमि पैत्रिक नहीं है । बल्कि वादीगण अपीलांटस के पिता, पति बलवानसिंह की स्व अर्जित आराजी है । उसे सम्पूर्ण आराजी बेचने का अधिकार है । हमने भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी, परन्तु इन्होंने गलत तौर पर बेची हुई भूमि का विरासत का इन्तकाल दर्ज करवा लिया, जिसे सही तौर पर बातिल व बेअसर करार दिया गया है । इन्होंने मेरे बयनामा को कैंसिल कराने की रिलीफ चाही है, जबकि इसको कैंसिल कराने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं । तहत अदालत ने प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुये विधिसम्मत तनकीवार निर्णय पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से यह तो सिद्ध है कि विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है और पैत्रिक सम्पत्ति में वारिसान पुत्रों का हक होता है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलांटस के पिता पति ने अपने जीवनकाल

16/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

में ही अपने 1/4 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा रेस्पो0 को कर दिया और कब्जा खरीददार रेस्पो0 का करवा दिया । रेस्पो0 प्रतिवादी ने भूमि रिकार्डेड खातेदार से खरीदी है । ऐसे पंजीकृत बयनामा को कैंसिल करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है, राजस्व न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार नहीं है । जहां तक वादीगण अपीलांटस के पिता पति बलवानसिंह के हिस्से का प्रश्न है तो अन्य आराजीयात में वह सह खातेदार था । इस आधार पर उसका 1/4 में से हिस्सा 1/4 अर्थात 1/16 हिस्सा वैसे ही बनता है । वादीगण अपीलांटस ने अन्य खसरा नम्बरान में से अपना हिस्सा नहीं मांगा है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.9.2015 यथावत रखे जाते हैं । निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो ।

16/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 58/15 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जसवन्त सिंह पुत्र बलवान सिंह

2. सुमन पुत्री बलवान सिंह नाबालिग जरिये सरपरस्त माता उर्मिला देवी

3. उर्मिला देवी पत्नी बलवानसिंह जाति जाट निवासी सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांटस

बनाम

1 दयाचन्द

2 धनीराम

3 स्तवीर पुत्रान भगवानसिंह जाति जाटान निवासी भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

4 नित्यानन्द

5 सुरेन्द्र पुत्रान बच्चूसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुन्दरवाडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

6 विजयसिंह पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम दरबारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

7 अतरसिंह पुत्र मुरली जाति जाट निवासी ग्राम रूंध तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाणा

8 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर

:------- रेस्पो0

16/12

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,मुण्डावर
दिनांक 7.9.2015

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री परमानन्द मेहरा

2. वकील रेस्पो0 :– श्री संतोष बंसल

पर्चा डिक्री दिनांक 16.12.2019

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.9.2015 यथावत रखे जाते हैं ।

16/12/19

(कमल राम मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर